

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या
23/2025

पीठासीन अधिकारी-दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक
07.01.2025

निर्णय दिनांक
13.01.2025

उनवान

1. कैलाश पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. तुलसी राम पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. भगवान लाल पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नी श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. रेखा पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी- समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मी पुत्री श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
7. हीरा पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
8. रतन पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम


1. उमा देवी पत्नी श्री देवी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री डालचन्द विश्नोई निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. लादी पत्नी श्री गोवर्धन लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. कमला पुत्री बंशी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. पूरणमल पुत्र बंशी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
6. भगवान लाल पुत्र श्री बंशी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तह. एवं जिला भीलवाड़ा
7. रतन लाल पुत्र श्री बंशी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पुत्र श्री बंशी लाल विश्नोई निवासी- दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
9. लादी पत्नी श्री घीसू विश्नोई निवासी - दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
10. शंकर लाल पुत्र श्री बंशी लाल विश्नोई निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
11. सोहनी पत्नी श्री कंवर लाल विश्नोई निवासी दरीबा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थीगण श्रीमती गायत्री पटवा
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरीबा पटवार हल्का दरीबा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील एव जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 1970 रकबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1971 रकबा 0.6702 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1972 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1973 रकबा 0.6070 हेक्टयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.6439 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम दरीबा पटवार हल्का दरीबा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील एव जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 1970 रकबा 0.3541 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1971 रकबा 0.6702 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1972 रकबा 0.0126 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1973 रकबा 0.6070 हेक्टयर, कुल किता 04 कुल रकबा 1.6439 हैक्टयर की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवाराज सिंह चण्णवत)
उपरी अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा